(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-IV) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No. F.3 (99)/Fin (Exp-IV)/2020-21/DS-IV/ 537   Dated: 07/07/21

Notification No. 72/2020– State Tax

No. F.3(99)/Fin.(Exp-IV)/2020-21/DS-IV/ - In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Eleventh Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the 30th day of September, 2020.

2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 46, after clause (q), the following clause shall be inserted, namely:-

"(r) Quick Response code, having embedded Invoice Reference Number (IRN) in it, in case invoice has been issued in the manner prescribed under sub-rule (4) of rule 48.".

3. In the said rules, in rule 48, in sub-rule (4), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt a person or a class of registered persons from issuance of invoice under this sub-rule for a specified period, subject to such conditions and restrictions as may be specified in the said notification.".

4. In the said rules, in rule 138A, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) In case, invoice is issued in the manner prescribed under sub-rule (4) of rule 48, the Quick Response (QR) code having an embedded Invoice Reference Number (IRN) in it, may be produced electronically, for verification by the proper officer in lieu of the physical copy of such tax invoice.".

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Manoj Kumar)
Dy. Secretary IV (Finance)

No. F.3 (99)/Fin (Exp-IV)/2020-21/DS-IV/ 537   Dated: 07/07/21
Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.

IndiaCode

(Manoj Kumar)
Dy. Secretary IV (Finance)

Note: The principal rules were published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide notification dated the 22nd June, 2017, published vide number F3(10)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/342, dated the 22nd June, 2017 and last amended vide notification No. 62/2020 - State Tax, dated the 07/07/2021, published vide number No. F.3 (98)/Fin (Exp-IV)/2021-22/DS-IV/536 , dated the 07/07/2021.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भागचारमें प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीसरकार
वित्त (व्यय–IV) विभाग
दिल्लीसचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

सं0फा0 03(99)/वित्त (व्यय–IV)/2021–22/डीएस– IV/537 दिनांक: 07/07/21

अधिसूचना संख्या 72/2020–राज्य कर

सं0फा0 03(99)/वित्त (व्यय–IV)/2021–22/डीएस– IV/: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिश पर, दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :––

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2020 है ।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये 30 सितम्बर, 2020 से प्रवृत्त होंगे ।

IndiaCode

2. दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 46 में, खंड (थ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : ––

"(द) नियम 48 के उपनियम (4) के अधीन विहित रीति में बीजक जारी किए जाने के मामले में, इसमें बीजक सन्दर्भ संख्या (आई. आर. एन.) सविहित करने वाला त्वरित प्रत्युत्तर कोड।"

3. उक्त नियम के नियम 48 के खंड (4) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : ––

"परन्तु आयक्त, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए इस उपनियम के अधीन बीजक जारी करने से किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को छूट दे सकेगा।"

4. उक्त नियम के नियम 138क में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् : –

"(2) नियम 48 के उपनियम (4) के अधीन विहित रीति में बीजक जारी किए जाने के मामले में, बीजक निर्देश संख्या (आई. आर. एन.) सन्निहित करने वाले त्वरित प्रत्युत्तर कोड ऐसे कर बीजक की भौतिक प्रति के बदले उचित अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए इलैक्ट्रॉनिक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकेगा।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
केआदेशसेतथा उनके नामपर

मनोज कुमार

(मनोज कुमार)
उपसचिव–IV (वित्त)

सं0फा0 03(99)/वित्त (व्यय–IV)/2021–22/डीएस– IV/537 दिनांकः 07/07/21

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार असाधारण में प्रकाशनार्थ।
3. सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
7. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8. **संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग,** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
9. नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
10. मुख्य सचिव के विषेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
11. वेब साईट।
12. गार्ड फाइल।

IndiaCode

मनोज कुमार

(मनोज कुमार)
उपसचिव–IV (वित्त)

टिप्पण : मूल नियम, दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग– IV में अधिसूचना तारीख 22 जून, 2017 द्वारा सं0फा0 03(10)/वित्त (राजस्व–I)/2020–21/डीएस–VI/342, तारीख 22 जून, 2017 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 62/2020–राज्यकर, तारीख 07/07/2021, 2021 जो सं0फा0 03(98)/वित्त (व्यय–IV)/2021–22/डीएस– IV/536, तारीख 07/07/2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा किया गया ।